Research Paper E-ISSN NO : 2455-295X | VOLUME : 10 | ISSUE : 1 | JANUARY 2024

प्रशासनिक पारदर्शिता एवं जवाबदेयता: एक संगठनात्मक आवश्यकता

डॉ.विद्यासागर शर्मा [1]

[1] **पीएच.डी., प्रधानाचार्य, दादा पम्माराम गर्ल्स पीजी कॉलेज.**

ABSTRACT:

"यदि किसी भी संगठन में भ्रष्टाचार सबसे विनाशक रोग है,

तो पारदर्शिता एवं जवाबदेयता उसका सबसे बड़ा इलाज है।"[1]

सुशासन मानव विकास को प्राप्त करने की सबसे पहली शर्त है। सुशासन सभी राज्यों के कार्यक्रमों और गतिविधियों के लिए अंतिम लक्ष्य है। और पारदर्शिता और जवाबदेयता सुशासन के मुख्य घटक है, पारदर्शिता एवं जवाबदेयता अंतर्सम्बंधित और पारस्परिक रूप से मजबूत अवधारणा है। पारदर्शिता के बिना कोई जवाबदेयता नहीं हो सकती तथा जब तक जवाबदेयता नहीं होती, पारदर्शिता का कोई मूल्य नहीं होगा।इसप्रकार पादर्शिता एवं जवाबदेयता एक सशक्त एवं अग्रणी अवधारणा है, वास्तव में पारदर्शिता एवं जवाबदेयता को लोकतंत्र में नागरिकों की सहभागिता एवं सुशासन के प्रर्याय के रूप में देखा जाता ळें

KEYWORDS:

पारदर्शिता, स्पष्ट या पारदर्शी, अस्पष्ट या अपारदर्शी , निष्क्रिय प्रकृटीकरण, स्वतंत्र लोकपाल, रिपोर्ट जवाबदेयता, अनुपालन जवाबदेयता, जवाबदेयता पर वार्तालाप , व्यायसायिक/विवेकाधीन जवाबदेयता, अग्रिम जवाबदेयता

PAPER ACCEPTED DATE:	PAPER PUBLISHED DATE:
25th January 2024	30th January 2024

विषय उपस्थापन:

"लोक प्रशासन में पारदर्शिता की मूल अवधारणा सार्वजनिक क्षेत्र की उस परिस्थिति से जुड़ी हुई है, जिसमें जनता को प्रशासनिक निर्णयों तथा प्रशासनिक गतिविधियों की समय-समय पर वास्तविक सूचना प्राप्त होती हो। यह लोक प्रशासन के निर्णयों एवं कार्यों को खुलापन प्रदान करती है, और नागरिकों को निर्णय निर्माण प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति प्रदान करती है। यह एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा किसी देश की लोक प्रशासन की संरचना, कार्यों व नीति निर्माण में उस देश की जनता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। **लोक प्रशासन में पारदर्शिता से ना केवल प्रशासनिक कार्यों, सरंचना एवं निर्णयों की सम्पूर्ण व वास्तविक जानकारी नागरिकों को सही समय पर मिलती है, बल्कि लोक प्रशासन जवाबदेय भी बनता है।"**

पारदर्शिता को परिभाषित करते हुये हम कह सकते हैं:-

‘‘सरकारी गतिविधियों की समय-समय पर वास्तविक एवं सम्बन्धित सूचना नागरिकों को सरकारी तन्त्र द्वारा उपलब्ध करवाना ही पारदर्शिता है।‘‘[2]

(Transparency, meaning that reliable, relevant and timely information about the activities of government is available to the public".[2]**)**

लोक प्रशासन को सही मायने में सक्षम लोक प्रशासन बनाया जा सके इसके लियेजिस प्रकार के परिवर्तनों की आवश्यकता है, उनमें से ही एक है, लोक प्रशासन में प्रभावी पारदर्शिता का निर्माण और विकास। लोक प्रशासन में पारदर्शिता केवल किसी राज्य के लोक प्रशासन को दिशा निर्देशित ही नहीं करती, बल्कि यह एक ऐसा प्रशासनिक तत्व है, जो लोक प्रशासन में जवाबदेयता भी तय करता है।

पारदर्शिता: स्वरूप

यहां हम पारदर्शिता के दो स्वरूपों की व्याख्या करते है3-

(1) स्पष्ट या पारदर्शी

(2) अस्पष्ट या अपारदर्शी

अस्पष्ट पारदर्शिता में केवल सूचनाओं का प्रसार शामिल है। यह स्पष्ट रूप से नहीं बता पाती कि संस्था वास्तव में किस प्रकार व्यवहार करती है। अर्थात संस्था में निर्णय निर्माण कैसे होता है? कार्यों का परिणाम क्या होता है? इसमें सूचनाओं का प्रकृटिकरण होता है। वह भी केवल नाममात्र के रूप में, जो अविश्वसनीय होने की संभावना ज्यादा रहती है।

स्पष्ट पारदर्शिता किसी भी संस्था की कार्यक्षमता कार्यक्रम व योजनाओं के संदर्भ में विश्वसनीय सूचना प्रसार के साथ-साथ उस संस्था की जवाबदेयता भी तय करती है जो विशेष रूप से कार्यालयी जवाबदेयता व सार्वजनिक धन से संबंधित होती है। स्पष्ट पारदर्शिता संस्थागत व्यवहार पर भी प्रकाश डालती है। जो संगठन में रचनात्मक बदलाव लाने वाली रणनीतियों को आगे बढ़ाने वाली संस्थाओं, नीति निर्माताओं व कार्यक्रम प्रतिभागियों को अनुमति प्रदान करती है। स्पष्ट पारदर्शिता के उदाहरण में मानव अधिकारों के उल्लघंन, पर्यावरण मानकों के साथ सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमाणीकरण, स्वतंत्र लोकपाल रिपोर्ट, नीति मूल्यांकन और यहां तक कि विश्व बैंक के निरीक्षण पैनल की रिपोर्ट के बारे में नागरिक समाज के आकड़े शामिल है।

हम पारदर्शिता के दो आयामों का उपयोग करते है[4]।

पारदर्शिता: आयाम

निष्क्रिय पारदर्शिता:- यह पारदर्शिता सूचना के निष्क्रिय प्रकृटीकरण से संबंधित है। यहां पर नागरिकों के अनुरोध पर विभिन्न कानूनों के माध्यम से प्रशासन को सूचना प्रकट करने के लिए मजबूर किया जाता है।

सक्रिय पारदर्शिता- यह जानकारी के स्वैच्छिक प्रसार से संबंधित है। इसमें सरकार अपने आप ही सूचना जारी करने का निर्णय लेती है।

अलग-अलग परिस्थितियों से पता चलता है कि जवाबदेयता के साथ संबंधों में सक्रिय व निष्क्रिय पारदर्शिता प्रथम मील का पत्थर है।

जवाबदेयता:अर्थ

“अग्रेजी भाषा में जवाबदेय (Accountable) शब्द का प्रयोग 1583 वर्ष में वित्तिय सन्दर्भ

में किया गया था।"5आज भी वित्तिय जवाबदेयता धारणा का महत्वपूर्ण भाग है जो एक समाविष्ट धारणा है और इसमें सरकार द्वारा की जाने वाली सभी क्रियाएँ आ जाती हैं।

अतः जवाबदेयता का अर्थ है कि "सफाई पेश करने के लिए उत्तरदायी"। अर्थात् प्रशासन को जो सत्ता सौंपी गई है उसके प्रयोग के लिए जवाबदेयहोना6।' इसे हम निम्नानुसार परिभाषित कर सकते हैं:- ''जवाबदेयता का अर्थ हैं कि किसी की, किसी के लिए किये गये कार्य/कार्यक्रम के प्रति जिम्मेदारी.....जिससे कार्यक्रम का अधिकतम प्रभाव व परिणाम सुनिश्चितता हो सके।

ßAccountability' essentially means responsibility to someone forone's actions taken … to ensure that programmes have maximum impact and results …"[7]

"प्रशासनिक जवाबदेयता एक संगठनात्मक आवश्यकता है, क्योंकि सर्वप्रथम, यह लक्ष्यों के सन्दर्भ में इसके निष्पादन के मूल्यांकन का प्रयास करती है। लक्ष्य को निश्चित कार्यों और दायित्वों में विभाजित किया जाता है, और प्रशासकों को व्यक्तिगत रुप से पूछा जाता है कि वे बताये के वे किस प्रकार अपने दायित्वों को पूरा कर रहे हैं। जवाबदेयता प्रशासनिक दायित्वों की सहगामी है। जवाबदेयता का लाभ तभी होता है जब इस को दृढ़ता से और निकट से सगंठन के लक्ष्यों और मूल कार्यों से जोड़ दिया जाता है"[8]।

एक लोकतांत्रिक सरकार में धारणा यह हैं कि लोक सेवक सरकार में जनता की सेवा के लिये कार्य करते हैं। चूंकि जिस प्रकार का कार्य लोक-सेवक करते है और जिस प्रकार की सत्ता का प्रयोग वे करते हैं, इसलिए जवाबदेयता को निर्धारित करने की समस्या गम्भीर बन जाती हैं। आज लोक प्रशासन विधानमण्डल द्वारा बनाई गयी नीतियों को लागू करने और कानूनों को क्रियान्वित करने का कार्य ही केवल नहीं करते, अपितु वे समझबूझ का कानून भी बनाते है और वे केवल मोटे लक्ष्यों को निश्चित करते हैं, विधान में जो लुप्तांश रह जाते है उनको भरने के लिए विस्तृत नियम, अधिनियम तथा उपविधि बनाने का कार्य प्रशासकों को सौंपा जाता है, ताकि कानूनों को कार्योन्वित करने के प्रक्रिया सरल हो सके। प्रशासकों को कभी-कभी यह भी कहा जाता है कि वे कुछ मुद्दों की व्याख्या करे तथा न्याय निर्णय करें। अतः प्रशासनिक जवाबदेयता की धारणा व्यापक हुई हैं। और परिणामस्वरूप इसके आयाम भी बढ़ गये हैं।[9]

इस प्रकार जवाबदेयता की अवधारणा प्राथमिक रूप से प्रभावी कार्यक्षमता व परिणाम से जुड़ी हुई हैं जो किसी भी संगठन को मजबूती प्रदान करने में सहायक हैं। इस आधार पर हम यहाँ पर जवाबदेयता के 4 विभिन्न आयाम व 4 स्वरूपों की चर्चा करते हैं। जैसा कि रेखा चित्र 2.1 में दिखाया गया है।

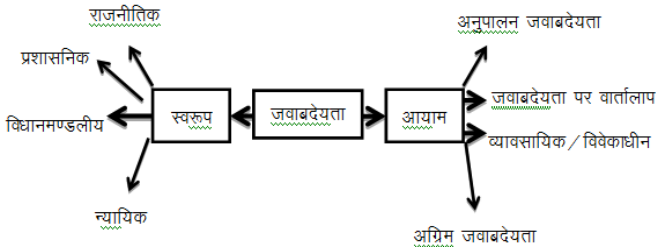

रेखाचित्र 2.1 - जवाबदेयता के स्वरूप व आयाम

उपयुक्त रेखाचित्र 2.1 में दर्शाये जवाबदेयता के स्वरूपों व आयामों की निम्नानुसार व्याख्या करते हैं[10]:-

जवाबदेयता के आयाम

1. अनुपालन जवाबदेयता
2. जवाबदेयता पर वार्तालाप
3. व्यायसायिक/विवेकाधीन जवाबदेयता
4. अग्रिम जवाबदेयता

1. अनुपालन जवाबदेयता

यह एक संकीर्ण पहलू हैं, जिसमें प्रदर्शन (Performance) या प्रक्रिया (Procedure) के मानकों को लागू करना शामिल हैं।

2. जवाबदेयता पर वार्तालाप

इसका आशय है कि बदली हुई परिस्थितियों एवं उन लोगों की मांग के जवाब में प्रबंधन और प्रशासन में सुधार लाना, जिनके लिए संगठन जवाबदेह हैं।

3. व्यायसायिक/विवेकाधीन जवाबदेयता

इस प्रकार की जवाबदेयता में पेशेवर मानकों, प्रबंधन प्रणालियों और प्रौद्योगिकियों, संगठन का सेवाओं को बढ़ाने के लिए की जाने वाली स्वैच्छिक पहल को शामिल किया जाता हैं।

4. अग्रिम जवाबदेयता

जवाबदेयता के नये मानकों के लिए की गई तैयारी को इस प्रकार की जवाबदेयता में शामिल किया गया हैं।

इसी प्रकार जवाबदेयता के चार आयामों की तरह इसके चार स्वरूपां की चर्चा करते हैं। वैसे तो जवाबदेयता के कई स्वरूप हैं। लेकिन हम यहाँ पर मुख्य रूप से चार स्वरूपों में व्याख्या करते हैं11।

जवाबदेयता के स्वरूप

1. राजनीतिक जवाबदेयता
2. प्रशासनिक जवाबदेयता
3. विधानमण्डलीय जवाबदेयता
4. न्यायिक जवाबदेयता

1. राजनीतिक जवाबदेयता

राजनीतिक जवाबदेयता से आशय हैं कि राजनीतिक सत्ताधारियों की शक्ति का दुरूपयोग न हों, अतः यह अनिवार्य हैं कि इनके साथ जवाबदेयता जुड़ी होनी चाहिए। जो शक्तियाँ एवं सत्ता इन्होंने संविधान एवं विधानमण्डलीय कानूनों से प्राप्त की हैं। उसके उचित प्रयोग के लिए इन्हें जवाबदेय बनाना अनिवार्य हैं।

2. प्रशासनिक जवाबदेयता

प्रशासनिक प्रक्रिया में जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी प्रशासनिक जवाबदेयता को लागू किया जा सकता हैं। लेकिन यह इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रशासनिक प्रक्रिया के कौन से स्तर पर कौन भाग ले रहा हैं और प्रशासन किस प्रकार का कार्य कर रहा हैं। साथ ही प्रशासकों के लिए यह भी अनिवार्य है कि वे अपने निर्णय जनता की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर करें व प्रशासनिक क्रियाओं का लोकतांत्रिक आधार विस्तृत किया जाये।

3. विधानमण्डलीय जवाबदेयता

विधानमण्डलीय जवाबदेयता के कई तरीके हो सकते हैं। अर्थात् विधानमण्डल लोकप्रशासन को कई तरीकों से जवाबदेय बना सकता हैं। जैसे विधानमण्डलीय समितियों के माध्यम से प्रशासन में जाँच पड़ताल, नीति, कार्यप्रणाली व कार्यविधि निर्माण, वित्तीय नियन्त्रण आदि।

4. न्यायिक जवाबदेयता

प्रशासन न्यायिक नियंत्रण के अधीन होता है, जो न्यायालयों द्वारा लागू किया जाता है। न्यायालयों के प्रति प्रशासनिक अधिकारियों का जो उत्तरदायित्व है, वही यदि दूसरी ओर से देखा जाए तो वे न्यायिक उपचार अथवा प्रतिकार है, जो अधिकारियों द्वारा शक्ति का दूरूपयोग करने अथवा अनाचार करने की स्थिति मे नागरिक प्राप्त कर सकते है यही प्रशासनिक अधिकारियों का न्यायालय के प्रति न्यायिक जवाबदेयता का एक रूप है।

निष्कर्ष:

लोक प्रशासन मानव और उसकी सभ्यता के समय से ही अस्तित्व में रहा है। समय, काल एवं परिस्थितियों के अनुसार लोक प्रशासन का स्वरूप भी परिवर्तित होता रहा है। यही कारण रहा है कि परिवर्तित स्थितियों में इसकी भूमिका एवं कार्यों में भी परिवर्तन हुआ है और वर्तमान में नव लोक प्रबन्ध के नाम से अपने को परिवर्तित करने जा रहा है। जिसका तात्पर्य यह है कि लोक प्रशासन में पारदर्शिता एवं जवाबदेयता के महत्व को महसूस किया जा रहा है तथा इस पर समय-समय पर चर्चा भी होती है। क्योंकि लोक प्रशासन सीधा जनता से जुड़ा विषय है। इसके पश्चात् भी लोक प्रशासन में पारदर्शिता एवं जवाबदेयता का निरन्तर अभाव बना रहा है। अतः इसकी पारदर्शिता एवं जवाबदेयता स्पष्ट परिलक्षित होनी ही चाहिए। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर हमने हमारे शोध अध्ययन में लोक प्रशासन में पारदर्शिता एवं

जवाबदेयता का अर्थ, प्रकृति, महत्व तथा उन तथ्यों (तत्त्वों) का वर्णन किया है। जो पारदर्शिता एवं जवाबदेयता को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। इसमें कार्मिकों की सामान्य पृष्ठभूमि, व्यक्तिगत जानकारी, कार्मिकों की सेवा-शर्ते, कार्य सन्तुष्टि, कार्य प्रकृति, कार्मिकों का जनता के प्रति दृष्टिकोण, सकारात्मक एवं विभिन्न पहलू जैसे सूचना का अधिकार, ई-गवर्नेंस, सुशासन एवं उत्तरदायित्व, प्रशासन में जनसहभागिता, जनसंचार, प्रशासनिक प्रक्रियाओं का खुलापन,कर्मचारियों की सकारात्मक मानसिकता, नागरिक अधिकार पत्र, कर्मचारियों में बढा हुआ मनोबल एवं अभिप्रेरणा, कानून का शासन एवं प्रभावी लोकपाल लोकायुक्त की नियुक्ति आदि मुख्य हैं।

REFERENCES

1. Organisation for Economic Cooperation and Development, "*Public Sector transparancy and accountability*" : making it happen OECD, Paris , 2002, PP.3

2. उपर्युक्त PP.10.

3. Jonathan Fox(2007), The uncertain relationship between transparency and accountability, "*development in practice*", Volume-17,Number 4-5, August 2007, PP-666.

4. उपर्युक्त PP.

5. Maheswari,Shairam; Accountability in public Administration: Towards a Conceptual framwork ; "*Indian Journal of public Administration*" ; IIPA, Delhi, Vol.xxx; No.3; July, Sept ; 1983 ; PP.457.

6. शर्मा एम.पी. एव सडाना बी.एल.,'लोक प्रशासन सिद्धान्त एवं व्यवहार ', किताब महल दिल्ली 2005 पृष्ठ सख्या -778.

7. kevin p. Kearns, "The strategic Management of accontability in non profit organization : An Analytical framwork, "*Public Administration Review(USA)*" , 54 , No.2, march/April 1994, PP. 185-192.

8. महेश्वरी श्री राम, पूर्वोक्त सख्या- 5, पृष्ठ सख्या-458.

9. AshokMukhopadhyas ; Administrative Accountability: A conceptnal analysis : "*Indian journal of public administration*": IIPA, Delhi, Vol.XXIX; No.3; July-Sept, 1983; PP.474.

10. पूर्वोक्त संख्या-7, पृष्ठ संख्या- 185-192.

11. शर्मा एम.पी. एवं सडाना बी.एल; पुर्वोक्त संख्या-6,पृष्ठ संख्या-782.